न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 18/2012 प्रार्थना पत्र 14(4)

1. बाबूलाल पुत्र रामजीलाल
2. हरिसिंह पुत्र रामसहाय

} समस्त जाति गुर्जर निवासी अरनिया तहसील बसवा जिला दौसा।

प्रार्थीगण

बनाम

1. जनकी बेवा खैराती (फौत)
2. जगदीश पुत्र खैराती (फौत)

} जाति बैरवा निवासी अरनिया तहसील बसवा जिला दौसा।

2/1 राजेन्द्र पुत्र जगदीश
2/2 रामस्वरूप
2/3 छोटी पत्नि जगदीश
2/4 ममता पुत्री जगदीश
2/5 कमलेश पुत्री जगदीश

} समस्त जाति बैरवा निवासी अरनिया तहसील बसवा जिला दौसा

3. शांति देवी पत्नि दुर्गालाल पुत्री खैराती जाति बैरवा निवासी बीनावाला तहसील दौसा
4. कमला देवी पत्नि पूरणमल पुत्र खैराती जाति बैरवा निवासी प्रेमपुरा तह0 दौसा।
5. गुलाबदेवी पत्नि प्रकाश पुत्री खैराती जाति बैरवा निवासी प्रेमपुरा तहसील दौसा
6. केसरी देवी पुत्री खैराती पत्नि हरसहाय जाति बैरवा (फौत)
7/1 लादूराम पुत्र हरसहाय जाति बैरवा निवासी बीनावाला तहसील दौसा
7/2 भोली देवी पुत्री हरसहाय पत्नि सुरेश जाति बैरवा निवासी खोरकिला तह0 दौसा
7/3 गीता देवी पुत्री हरसहाय पत्नि घनश्याम जाति बैरवा निवासी सीतापुरा तह0 दौसा।
7/4 बीलादेवी पुत्री हरसहाय पत्नि मोहनलाल जाति बैरवा निवासी गोला का बास तहसील राजगढ जिला अलवर।
8. भू आवंटन सलाहकार समिति जरिये एसडीओ बांदीकुई।
9 राज0 सरकार जरिये तहसीलदार बसवा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) भू आवंटन नियम विरूद्ध आवंटन आदेश दिनांक 28.9.1970 बाबत कृषि भूमि।

उपस्थिति : श्री दयाराम गुर्जर अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
: श्री उम्मेद सिंह गुर्जर अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2/1,2/2,2/3,3 उपस्थित।

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या : 18 / 2012 प्रार्थना पत्र 14(4)

—:निर्णय:— दिनांक: 29.06.2018

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम अरनिया तहसील बसवा जिला दौसा स्थित भूमि साबिक खसरा नम्बर 958 के वर्तमान खसरा नम्बर 2304 / 3958 रकबा 2.63 है0 का आवंटन अप्रार्थी जनकी के पति एवं अप्रार्थी जगदीश के पिता खैराती ने साज करके दिनांक 28.9.1970 को करा लिया। उक्त भूमि आवंटन आदेश दिनांक 28.9.70 बहक खैराती पुत्र गोरधन जाति बलाई निवासी अरनिया तहसील बसवा को निरस्त करने हेतु प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) भू आवंटन नियम प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गयी। अप्रार्थी जनकी बेवा खैराती एवं जगदीश पुत्र खैराती जाति बैरवा निवासी अरनिया तहसील बसवा फौत होने पर उनके वारिसान को पक्षकार बनाया जाकर प्रार्थीगण की ओर से संशोधित टाईटल पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि आवंटिती का आवंटित भूमि पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा जो कि इस न्यायालय द्वारा कराई गई मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 2.1.17 में भी स्पष्ट अंकित है। रिपोर्ट दिनांक 11.8.98 में भी स्पष्ट अंकित किया गया है कि आवंटियों का उक्त भूमि पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा। सरकार द्वारा जिस उद्देश्य से भूमि आवंटित की उसकी शर्तो की पालना नहीं की गई। खातेदारी होने पर भी आवंटन को निरस्त किया जा सकता है।

अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा जवाब बहस में निवेदन किया गया कि 28.9.70 के आवंटन आदेश को 45 वर्षो बाद चुनौती दी गई है जो स्वीकार योग्य नहीं है। कब्जा इसी से प्रमाणित है कि आवंटन आदेश की पुस्त पर कब्जा सम्भलाने की रिपोर्ट है। विधिवत भूमि आवंटन हुआ है एव आवंटन आदेश की सभी शर्तों की पालना की गई है। उक्त भूमि का बेचान 22.3.2013 को कर दिया गया था क्रेता गीतादेवी पत्नि रामसिंह बैरवा निवासी अरनिया तहसील बसवा इस पर वर्तमान में काबिज है। इस प्रकार रिपोर्ट दिनांक 02.1.17 में मेरा कब्जा नहीं रहा क्यों कि 2013 में ही उक्त भूमि का विक्रय कर दिया गया था। उक्त आवंटन के पश्चात गैरखातेदारी एवं फिर खातेदारी का नामान्तरकरण खुला है। खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद 14(4) के तहत आवंटन निरस्त नहीं किये जा सकते। 40 वर्षो से अधिक अवधि बाद इसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। आवंटन के 10 वर्ष बाद स्वतः खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। छल–कपट से आवंटन होने पर ही नियम 14(4) से आवंटन निरस्त कराया जा सकता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत वाद लंबित हो तो 14(4) के तहत आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई में आज भी विचाराधीन है। कब्जा हो तो भी नियमन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर 14(4) के तहत आवंटन निरस्त नहीं कराया जा सकता है। प्रार्थीगण के पास भी प्रचुर भूमि उपलब्ध है। प्रार्थीगण द्वारा लगातार कब्जे बाबत कोई साक्ष्य भी पेश नहीं किया गया है। भूमि आवंटन के पश्चात विधिवत कब्जा सम्भलाया गया हो तो बाद में कब्जा अन्य द्वारा करने पर

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भी आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता। खसरा गिरदावरी में भी कब्जा काश्त स्पष्ट है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये–

RRD 2007 Page 728
RRD 2001 Page 126
RRD 1997 Page 195
RRT 2011 (I) Page 383
RRD 2012 Page 306
RRD 2010 Page 78
RRD 2010 Page 56
RRT 2011 (I) 270
RBJ 2017 Page 31
RRD 2014 (II) Page 1150
RBJ 2014 Page 685

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा पुनः जवाब में निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) वर्ष 2011 मे ही प्रस्तुत कर दिया गया था जबकि खातेदारी वर्ष 2013 में ही मिली है जो उक्त प्रार्थना पत्र के विचाराधीन होने के दौरान मिली है। उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई के यहां विचाराधीन वाद पृथक है। वर्ष 1998 में भी आवंटिती का कब्जा नहीं था। माननीय न्यायालय द्वारा कब्जे बाबत रिपोर्ट मांगी गई है। गिरदावरी वर्ष 2071–73 की पेश की है जिसका कोई मतलब नहीं है। प्रार्थना पत्र 14(4) स्वीकार फरमावे।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली मे उपलब्ध मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 11.08.1998 के अनुसार प्रश्नगत आवंटित भूमि पर आवंटी काबिज नही होना व्यक्त किया गया है। इसके पश्चात मौका रिपोर्ट दिनांक 02.01.2017 के अनुसार भी मौके पर आवंटी के कब्जे बाबत जांच करने पर मौके पर कब्जा काश्त नही पाया गया। जमाबन्दी संवत 2066 से 2069 के कॉलम सं. 17 में भी आवंटी काबिज नही होना अंकित किया गया है तथा आवंटी को खातेदारी अधिकार वर्ष 2013 में दिया जाना अंकित किया गया है। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रश्नगत आवंटन आदेश में वर्णित भूमि का बेचान भी दिनांक 22.3.2013 को क्रेता गीतादेवी पत्नि रामसिंह बैरवा निवासी अरनिया तहसील बसवा जिला दौसा को किया जाना व्यक्त किया गया है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि पर आवंटी का कब्जा नहीं था। प्रार्थना पत्र 14(4) वर्ष 2011 में पेश किया जा चुका था। मूल आवंटन आदेश के पुस्त पर आवंटी द्वारा कब्जा सम्भाल लिये जाना अंकित किया गया है। किन्तु उक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 11.08.1998 एवं 02.01.2017 के अनुसार आवंटी मौके पर काबिज नही होने से उक्त कब्जा भौतिक रूप से सम्भाल लिया जाना प्रतीत नही होता है। अप्रार्थीगण की ओर से आंवटित रकबे पर आवंटन के दो–तीन साल में काश्त करने का कोई रिकार्ड पेश नही किया गया है। इस प्रकार आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नही करने की वजह से आवंटी को किया गया आवंटन काबिले निरस्त है। हम अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क से सहमत नही है कि आवंटी को आवंटन 28 वर्ष पूर्व हुआ था और इस वजह से उनको खातेदारी अधिकार मिल गये है। वस्तुतः आवंटित भूमि पर आवंटन शर्तो की पालना में आवंटी का कब्जा काश्त नही रहा है। ऐसी स्थिति में आवंटी को खातेदारी अधिकारी उपार्जित नही होते है। किसी भी आवंटी के द्वारा आवंटन की शर्तो की

अति० जिला कलक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पालना नही कि जाने पर आवंटन जिला कलक्टर/अति0 जिला कलक्टर द्वारा सोमोटो या किसी के प्रार्थना पत्र पर निरस्त किया जा सकता है। क्योकि आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नही की गई है। ऐसी स्थिति में यह आवंटन निरस्त किया जाना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) को स्वीकार करते हुए प्रश्नगत आवंटन आदेश दिनांक 28.09.1970 बहक खैराती पुत्र गोरधन जाति बलाई निवासी अरनिया तहसील बसवा जिला दौसा को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावे एवं जिला अभिलेखागार दौसा से प्राप्त मूल रिकार्ड वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 29.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official